

28/04/21 वादीनी वसिष्ठ के निवेदन पर (अपवर्ण)
आज तक की गयी
वादीनी वसिष्ठ ने निवेदन किया कि अतिरिक्त
मेरे पुत्र हैं मेरे पति के इच्छाकार होने पर
मेरे पुत्रों अतिकारी २ व २ के नाम से फौजदारी
नामान्तकृत अतीकृत हुआ था पर सब था



मैंने मेरे लड़के का त्याग कर दिया था
मैजिस्ट्रेटों की समझाइश से हमारे
बीच में शादीनामा होने के पश्चात्
प्राद को छोड़ने का बयान नहीं पाहरी था;
हुक्म बाद जजिमे शादीनामा किये गए किया
जाया।

प्रादी पक्षीय के निवेदन पर हुक्म बाद जजिमे
शादीनामा कसी स्तर पर खारिज किया
जाया है प्रादी की कसल सुमार लेकर
दाखिल दाखल है।

सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) सिवाय



डॉ. धनंजय

पालु राम

Omber
[Signature]

Pr...

21/11/20
[Signature]
[Signature]